रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2002/फाल्गुन 10, 1923
No. 231] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2002/PHALGUNA 10, 1923

LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002

का.आ. 270(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् आदेश का.आ. 853(अ), दिनांक 1 सितंबर, 2001 द्वारा यह निदेश किया था कि उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को, आपूर्ति अथवा वितरण के लिए, ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, जूट पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा;

और, जबकि, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से एक रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान पटसन वर्ष (30 जून, 2002 को समाप्त) की बाकी अवधि के दौरान चीनी की पैंकिग के लिए ए-ट्विल बोरों की आपूर्ति में कमी आई है।

और, जबकि, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर संतुष्टि जताई की वर्तमान पटसन वर्ष (30 जून, 2002 को समाप्त) की बाकी अवधि के दौरान चीनी की पैंकिग के लिए ए-ट्विल बोरों की आपूर्ति में कमी आई है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पटसन पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 853(अ), दिनांक 1 सितंबर, 2001 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करने का निदेश देती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, अनुसूची के स्तंभ 3 में :—

(1) क्रम सं 1 में "खाद्यान्न" वस्तु के लिए "सौ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "नब्बे प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी और 30 जून, 2002 को समाप्त हो रहे वर्तमान पटसन वर्ष की समाप्ति तक बनी रहेगी।

[फा. सं. 9/4/2001-पटसन]

टी. नन्दकुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य आदेश, जैसा कि का.आ. 853(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st March, 2002

S.O. 270(E).—Whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by Order S.O. 853(E) dated 1st September, 2001, the commodities specified in column 2 of the Schedule of that Order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule.

And, whereas, the Central Government has received a report from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is stating that there is a shortage in supply of A. Twill bags for packing of sugar during the remaining period of current jute year (ending on 30th June, 2002);

And, whereas, the Central Government, after considering report of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is satisfied that there is a shortage of supply of A. Twill bags for packing of sugar during the remaining period of current jute year;

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, the Central Government hereby directs that the following amendments be made in Order 853(E) dated 1st September, 2001, namely :—

In the said order, in the Schedule, in column 3,

(i) against Sl. No. 2 relating to commodity "sugar" for the words "Hundred per cent", the words "Ninety per cent" shall be substituted.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and will remain in force till the end of the current Jute Year ending on 30th June, 2002.

[F. No. 9/4/2001-Jute]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Order as published vide S.O. 853(E) dated 1st September, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.